उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 अंक 3 1–15 फरवरी 2026 ₹ 20/–

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का विरोध

- उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग
- बांग्लादेश में नई सरकार का गठन
- नाइजीरिया में गैर–मुसलमानों का नरसंहार
- महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर विवाद

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का विरोध 04
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग 07
निजी संपत्ति पर नमाज हेतु सरकारी अनुमति जरूरी नहीं 09
महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर विवाद 11
राजस्थान में तब्लीगी जमात के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई 13

विश्व

बांग्लादेश में नई सरकार का गठन 15
बांग्लादेश में छह लोगों को मौत की सजा 18
पाकिस्तान में शियाओं के खून की होली 19
ब्रिटेन में फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध रद्द 21
मलेशिया और भारत के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर 22

पश्चिम एशिया

लीबिया में सत्ता के संघर्ष में गद्दाफी के बेटे की हत्या 24
सोमालिया और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता 26
नाइजीरिया में गैर-मुसलमानों का नरसंहार 28
सूडान में गृहयुद्ध की ज्वाला भड़की 29
ब्रिटेन के युवराज का सऊदी अरब दौरा 30

सारांश

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के सभी छह छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया है। मुस्लिम नेताओं और उर्दू मीडिया ने इस सरकारी फैसले का जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ खालिस्तानी मानसिकता के लोग भी इनके सुर में सुर मिला रहे हैं। हकीकत यह है कि इस्लाम में मातृभूमि की कोई परिकल्पना नहीं है। मुसलमान यह दावा करते रहे हैं कि उनका प्रेम किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वे पूरे विश्व को अपना वतन मानते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि मोहम्मद इकबाल ने 1910 में 'तराना-ए-मिल्ली' में लिखा था कि "चीन-ओ-अरब हमारा, हिन्दोस्ताँ हमारा। मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा।" इसी परिकल्पना के चलते मुसलमानों द्वारा शुरुआती दौर से ही वंदे मातरम का विरोध किया जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग करने का फैसला किया है। इसके स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इस प्राधिकरण के नियंत्रण में होंगे। इस प्राधिकरण में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को देहरादून में आवंटित की गई भूमि की जांच करने का भी फैसला किया है। 2004 में तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने शेख-उल-हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को यह भूमि आवंटित की थी। इस ट्रस्ट के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी हैं। इस भूमि पर मुस्लिम शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद की तरह एक इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना थी। यह भूमि देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी के बिल्कुल नजदीक स्थित है, इसलिए सेना ने इस भूमि के आवंटन पर आपत्ति की थी।

पाकिस्तान में शुरू से ही सुन्नियों का वर्चस्व रहा है। वे मुसलमानों के किसी अन्य फिरके को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने इस्लामाबाद में शियाओं की एक मस्जिद पर आत्मघाती हमला किया है। इस हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। देश के विभाजन से पहले भी शिया-सुन्नी संघर्ष होते रहे हैं। शियाओं के उत्पीड़न के लिए सिपाह-ए-सहाबा और लश्कर-ए-झंगवी जैसे कट्टरपंथी संगठनों का गठन किया गया। ये संगठन शियाओं को काफिर मानते हैं। 1980 के दशक में जनरल जिया-उल-हक के शासनकाल में पाकिस्तान में शिया विरोधी अभियान में तेजी आई थी, जो अभी भी जारी है।

बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) दो दशक के बाद सत्ता में लौटी है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। गौरतलब है कि तारिक रहमान को 2007 में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें इलाज के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति मिल गई। तब से वे ब्रिटेन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। खास बात यह है कि इस चुनाव में पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी के सत्ता में आने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन उसे इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है।

इजरायल ने सोमालीलैंड को मान्यता देने का जो फैसला किया है उसका अरब देशों द्वारा विरोध किया जा रहा है। दूसरी ओर, सोमालिया के राष्ट्रपति शेख हसन मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि इजरायल सोमालीलैंड में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करके पड़ोसी अरब देशों पर हमला कर सकता है। सोमालीलैंड की सरकार खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानती है। जबकि सोमालिया सरकार का दावा है कि सोमालीलैंड उसका अभिन्न हिस्सा है।

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का विरोध

इंकलाब (12 फरवरी) के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके सभी सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और औपचारिक आयोजनों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रीय गीत के सम्मान में भी सभी लोगों को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा। आदेश में कहा गया है कि अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' दोनों गाए जाएं तो पहले राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा। इस सरकारी आदेश में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के सभी छह छंदों का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी कुल अवधि तीन मिनट 10 सेकंड होगी। इसमें राष्ट्रीय गीत के वे चार छंद भी शामिल हैं, जिन्हें मुसलमानों के विरोध के कारण 1937 में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर हटाने का फैसला किया गया था। खास बात यह है कि सिनेमाघरों को नए नियमों से दूर रखा गया है। जब किसी फिल्म के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय गीत बजाया जाएगा तो दर्शकों के लिए खड़ा होना जरूरी नहीं होगा। सरकारी आदेश के अनुसार जब राष्ट्रध्वज को परेड़ में लाया जाएगा तो राष्ट्रीय गीत का गायन अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त तिरंगा फहराने, सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति या राज्यपाल के आगमन व प्रस्थान और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले तथा बाद में राष्ट्रीय गीत बजाना अनिवार्य होगा।

सरकार के इस फैसले से देश में राजनीति गर्म हो गई है। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सरकार के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा कि हमें लोगों द्वारा वंदे मातरम के गायन से आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमान इसे हरगिज नहीं गा सकते। हम 'एक अल्लाह' की वंदना में विश्वास रखते हैं। मदनी ने आरोप लगाया कि सरकार ने वंदे मातरम के जिन छंदों का गायन अनिवार्य किया है उनमें दुर्गा और सरस्वती की वंदना की गई है।

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने सरकार के इस फैसले की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस को 50 साल बाद वंदे मातरम की याद आई है। सावंत ने आरोप लगाया कि आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा तक नहीं फहराया जाता था और न ही वे देशभक्ति के गीत गाते थे। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने कहा है कि भाजपा सरकार ने यह फैसला पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया है।

हिंदुस्तान (12 फरवरी) के अनुसार महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा है कि मुसलमान वंदे मातरम के विरोधी नहीं हैं। हालांकि, इसे मान्यता न देना उनकी धार्मिक मजबूरी है, क्योंकि वे अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना नहीं कर सकते।

हिंदुस्तान (13 फरवरी) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कहा है कि सरकार द्वारा वंदे मातरम का गायन अनिवार्य करने का फैसला असंवैधानिक, धार्मिक स्वतंत्रता और सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। यह मुसलमानों के लिए स्वीकार्य नहीं है।

औरंगाबाद टाइम्स (13 फरवरी) के अनुसार खालिस्तान समर्थक सिख संगठन दल खालसा ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दल खालसा के नेता कंवरपाल सिंह बिट्टू ने इसे सिखों की पहचान और उनकी धार्मिक भावना के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदुत्व की विचारधारा को जबरन सिखों पर लाद रही है।

इंकलाब (17 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा है कि वंदे मातरम का विरोध करना देशद्रोह के बराबर है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना हम सबका दायित्व है।

अखबार-ए-मशरिक (16 फरवरी) ने अपने संपादकीय में केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि वंदे मातरम के सभी छंदों के गायन को अनिवार्य करने का फैसला राजनीति से प्रेरित है। सरकार जनता पर हिंदुत्व की विचारधारा को लादने का प्रयास कर रही है। समाचारपत्र ने कहा है कि कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में वंदे मातरम के पहले दो छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में गाने का फैसला किया था। यह फैसला इसलिए किया गया था, क्योंकि इस गीत के अन्य छंदों में दुर्गा, सरस्वती और अन्य हिंदू देवियों की वंदना की गई है। तब मुसलमानों ने इसका विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय भी अपने कई फैसलों में स्पष्ट कर चुका है कि वंदे मातरम सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन किसी को भी इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 फरवरी) ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि मोदी सरकार हिंदुत्व की विचारधारा को जबरन मुसलमानों पर लादना चाहती है ताकि उनकी इस्लामी पहचान खत्म की जा सके।

और अब ममता सरकार ने संघ परिवार को राज्य में सांप्रदायिकता का विष फैलाने की अनुमति नहीं दी है। अब भाजपा बंकिम चंद्र चटर्जी के सहारे राज्य में सांप्रदायिक कार्ड खेलकर सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। उसने यह फैसला राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया है। हालांकि, वंदे मातरम का मुद्दा क्षणिक लाभ तो दे सकता है, लेकिन इससे राष्ट्रीय एकता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचने की संभावना है।

हिंदुस्तान (13 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भाजपा राजनीतिक दांव-पेंच खेलने में माहिर है। वह सांप्रदायिक और संवेदनशील मुद्दों को राजनीति की शतरंज पर बिछाकर विरोधी दलों को उसमें उलझा देती है। भाजपा सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य करने का फैसला इसलिए किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वह राज्य की सत्ता में आने का प्रयास कर रही है। अभी तक भाजपा की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, जिसके आधार पर वह चुनाव में वोट मांग सके। यही कारण है कि वह धर्म, इतिहास और हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता में पहुंचती है।

समाचारपत्र ने कहा है कि भारतीय संविधान में 'जन गण मन' को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई थी। हालांकि, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसे कभी अनिवार्य नहीं बनाया गया। सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि मुसलमान इसका विरोध करेंगे, इसलिए वह इस विवादित मुद्दे को लेकर आई है ताकि समाज के एक बड़े वर्ग को गुमराह करके सत्ता पर कब्जा किया जा सके। भाजपा पश्चिम बंगाल में अभी तक चुनाव जीतने में सफल नहीं हुई है। इस राज्य में धार्मिक कार्ड कभी नहीं चला है। पहले कांग्रेस, वामपंथी दलों

उर्दू टाइम्स (12 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि जब विपक्ष मोदी सरकार को परेशानी में डाल देता है और देश में सरकार विरोधी माहौल बनना शुरू हो जाता है तो सरकार जानबूझकर ऐसा शोशा छोड़ देती है, जिसमें फंसकर जनता अपनी बुनियादी समस्याओं को भूल जाती है। हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे की पुस्तक के मामले में सरकार उलझ गई थी। सरकार के पास इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने वंदे मातरम पर नया आदेश जारी कर दिया। इससे देश की राजनीति में नई हलचल मच गई। सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि इस आदेश के कारण पूरे देश के मुसलमान नाराज होंगे और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके बाद मुसलमानों को देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। सरकार जनता की भावना भड़काकर सत्ता में आने का प्रयास करेगी।

एतेमाद (14 फरवरी) ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि सरकार ने जानबूझकर वंदे मातरम जैसे विवादित मुद्दे को उछाला है ताकि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर बहुसंख्यकों के वोट बटोरे जा सकें। समाचारपत्र ने कहा है कि यह गीत शुरू से ही विवादित रही है और

मुसलमान इसका विरोध करते रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि वंदे मातरम के विवादित अंशों को राष्ट्रीय गीत से हटा दिया जाए।

कांग्रेस कार्यसमिति ने 1937 में इसके पहले दो छंदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी और 1950 में संविधान सभा ने इसका अनुमोदन किया। यही कारण है कि पिछले साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यह आरोप लगाया था कि मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आकर कांग्रेस ने इस अधूरे गीत को मान्यता दी थी। समाचारपत्र

ने कहा है कि यह गीत हमारी तौहीद की कल्पना के खिलाफ, क्योंकि इसके शेष चार छंदों में विभिन्न हिंदू देवियों की वंदना की गई है। यह इस्लाम की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए हमें इसे पढ़ने पर आपत्ति है।

उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया है। अब इसके स्थान पर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्यपाल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इस प्राधिकरण के नियंत्रण में होंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने कहा कि मदरसा बोर्ड को खत्म करने का विधेयक राज्य विधानसभा में मंजूर किया गया था। अब राज्यपाल से इसकी स्वीकृति मिलने के बाद नए प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य सरकार ने यह कदम सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को एक समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए उठाया है। अब

राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। यह प्राधिकरण सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों का पाठ्यक्रम तय करेगा। इसका अर्थ यह है कि अब मदरसों के लिए अलग से व्यवस्था नहीं होगी।

इस प्राधिकरण में सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को शामिल किया गया है। रुड़की के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. सुरजीत सिंह गांधी को इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रो. राकेश जैन, डॉ. सैयद अली हामिद, प्रो. पेमा तेनजिन, डॉ. एल्बा मैड्रिल, प्रो. रोबिना अमान, प्रो. गुरमीत सिंह, समाजसेवी राजेन्द्र सिंह बिष्ट और सेवानिवृत्त अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट को इस प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है। निदेशक महाविद्यालय शिक्षा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसाधन एवं प्रशिक्षण परिषद और निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भी इस प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया है।

अवधनामा (3 फरवरी) ने अपने संपादकीय में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर मुस्लिम विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। समाचारपत्र ने कहा है कि 24 जनवरी 2026 को हिंदू रक्षा दल के सदस्यों ने मसूरी के एक स्कूल परिसर में स्थित मजार को तोड़ दिया। हालांकि, सरकार ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। समाचारपत्र ने यह भी आरोप लगाया है कि धामी सरकार ने सरकारी भूमि पर बने होने के कारण 400 से अधिक मजारों, मदरसों और दरगाहों को ध्वस्त कर दिया है। इसके अतिरिक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर परिसर में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। समाचारपत्र ने दावा किया है कि उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू किया गया है। इससे धामी सरकार की मुस्लिम विरोधी नीति का पता चलता है। इसके अतिरिक्त धर्मांतरण को रोकने के लिए भी सख्त कानून बनाया गया है।

औरंगाबाद टाइम्स (11 फरवरी) के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को देहरादून में आवंटित की गई भूमि की जांच करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि यह भूमि 2004 में नारायण तिवारी की कांग्रेस सरकार ने शेख-उल-हिंद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट को आवंटित की थी। इस ट्रस्ट के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी हैं। बताया जाता है कि इस भूमि पर दारुल उलूम देवबंद की तरह एक इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना थी। बाद में आवंटित भूमि के आसपास की अन्य भूमि पर भी अवैध कब्जा किया गया, जो सरकार और किसानों की थी। यह भूमि भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) के नजदीक स्थित है, इसलिए सेना ने इस भूमि को आवंटित करने पर आपत्ति जताई थी। राज्य सरकार द्वारा जब इस आवंटन को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई तो मौलाना महमूद मदनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सेना के विरोध के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अब राज्य सरकार ने ट्रस्ट को यह आदेश दिया है कि वहां पर इस्लामिक विश्वविद्यालय स्थापित न की जाए।

इंकलाब (5 फरवरी) के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के 100 परीक्षा केंद्रों को खत्म करने का फैसला किया है। राज्य

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार मदरसों के उन परीक्षा केंद्रों को अन्य परीक्षा केंद्रों में शामिल कर लिया गया है, जहां पर परीक्षार्थियों की संख्या 200 से कम थी। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया के उपाध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी ने कहा है कि इस सरकारी फैसले से मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कठिनाई होगी और कई स्थानों पर उन्हें 30 से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर मदरसों की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है।

निजी संपत्ति पर नमाज हेतु सरकारी अनुमति जरूरी नहीं

उर्दू टाइम्स (4 फरवरी) के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय को निजी संपत्ति पर धार्मिक आयोजन करने के लिए राज्य सरकार या प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि जनवरी महीने में बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में खाली पड़े एक मकान में बिना प्रशासनिक अनुमति के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था। प्रशासन ने इनके खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए थे। प्रशासन के इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में दावा किया था कि भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है। पुलिस व प्रशासन ने नमाज पढ़ने के आरोप में लोगों को गिरफ्तार करके संविधान का उल्लंघन किया है।

अदालत ने कहा है कि भारतीय संविधान की धारा 25 के तहत हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता है। अगर कोई धार्मिक गतिविधि निजी संपत्ति में शांतिपूर्ण तरीके से की जाती है तो उसके लिए प्रशासन से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई धार्मिक समारोह का प्रभाव जनजीवन पर पड़ता हो और उससे शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा हो तो प्रशासन आवश्यक

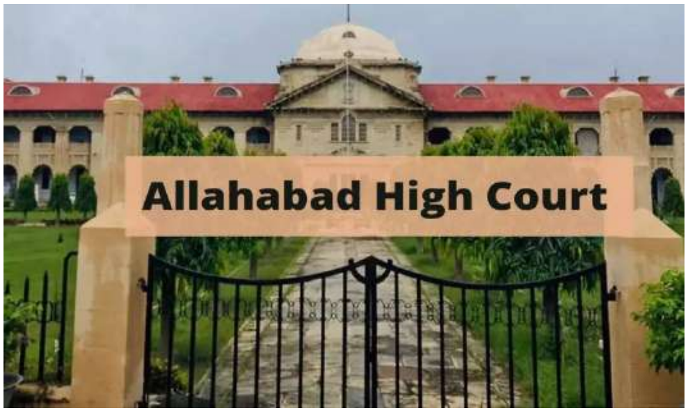

कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी धार्मिक सभा आयोजित करने या जुलूस निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी है, क्योंकि सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, यह नियम निजी संपत्ति में आयोजित धार्मिक गतिविधियों पर लागू नहीं होता है।

उल्लेखनीय है कि जिस गांव में यह घटना हुई है उसकी जनसंख्या लगभग डेढ़ हजार है। इसमें से 1200 मुसलमान और 300 गैर-मुसलमान हैं। गांव में कोई मस्जिद नहीं है, इसलिए गांव के मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए पड़ोसी गांव जाया करते थे। ऐसी स्थिति में गांव के एक निवासी मोहम्मद हनीफ ने अपने खाली पड़े मकान में नमाज पढ़वानी शुरू कर दी। बाद में लोग इस मकान में हर सप्ताह जुमे की नमाज पढ़ने लगे। समाचारपत्र के अनुसार पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लोगों से लिखित प्रशासनिक अनुमति पत्र मांगा था, जिसे वे पेश करने में विफल रहे। बाद में अदालत ने इन सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।

इंकलाब (4 फरवरी) के अनुसार मुस्लिम नेताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अदालत के इस फैसले से संविधान का वर्चस्व स्थापित हुआ है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि अदालत ने संविधान की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महामंत्री मौलाना यासूब अब्बास ने भी अदालत के इस फैसले की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अदालत का यह फैसला उत्तर प्रदेश के प्रशासन के लिए एक महत्त्वपूर्ण संदेश है।

समाजवादी पार्टी के प्रवक्त अब्दुल हफीज गांधी ने भी अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि रमजान के दौरान लोग अपने-अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, इसलिए अदालत के इस फैसले से उन्हें राहत मिलेगी।

इंकलाब (5 फरवरी) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि प्रशासन मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक नफरत की भावना के तहत कार्रवाई करता है। इसके कारण नागरिकों में असंतोष पैदा होता है। अब अदालत ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए इस तरह की मनमानी हरकतों से बाज रहने की चेतावनी दी है।

कौमी तंजीम (19 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र में स्थित मोहम्मदगंज गांव में एक निजी मकान में नमाज पढ़े जाने पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का नोटिस लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने बरेली के जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा अदालत की अवमानना करने पर नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है, क्योंकि अदालत ने अपने पहले के आदेश में कहा था कि निजी संपत्ति में शांतिपूर्ण नमाज पढ़ने के लिए किसी सरकारी अनुमति की जरूरत

नहीं है। बरेली प्रशासन ने इस अदालती आदेश के बावजूद मोहम्मदगंज गांव में नमाज पढ़ने पर 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

मुंसिफ (16 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ईसाई संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया था कि निजी संपत्ति में धार्मिक समारोह आयोजित करने से पहले पुलिस या प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बरेली पुलिस ने निजी मकान में नमाज पढ़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। यह अदालत की अवमानना का मामला है। खुशी बात है कि अदालत ने इसका संज्ञान लेते हुए बरेली जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है।

इंकलाब (8 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि इलहाबाद उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीशों ने कानून और संविधान की मर्यादा को बरकरार रखा है। इन न्यायाधीशों ने न सिर्फ सरकार की बुलडोजर नीति पर रोक लगाई है, बल्कि बरेली प्रशासन द्वारा नमाजियों के खिलाफ की गई गैर-कानूनी कार्रवाई पर भी ठोस कदम उठाए हैं। समाचारपत्र ने लिखा है कि न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में थे तो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' कहने वाले मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

JUSTICE ATUL SREEDHARAN

दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से उनका स्थानांतरण कर दिया गया। इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भेजने की सिफारिश की गई, लेकिन केंद्र सरकार के अनुरोध पर उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया। खास बात यह है कि अगर वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जाते तो कुछ महीने बाद वहां के मुख्य न्यायाधीश बनते। संभव है कि इसके बाद वे सर्वोच्च न्यायालय में आ जाते, लेकिन सरकार ने उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेजकर उनका वरिष्ठता क्रम सातवां कर दिया है। अब वे बिना मुख्य न्यायाधीश बने ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसी सजा और नाइंसाफी का शिकार होने के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो आदेश जारी किया है उससे साफ है कि वे पीड़ित वर्ग के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।

महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर विवाद

हिंदुस्तान (8 फरवरी) के अनुसार महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर नसरीन बानो शेख अपना पद संभालते ही विवादों में घिर गई हैं। उनका संबंध नवगठित इस्लाम पार्टी से है।

औरंगाबाद टाइम्स (15 फरवरी) के अनुसार मालेगांव नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर नसरीन बानो शेख और उपमहापौर शान-ए-हिंद ने अपने कार्यालय में लगी महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को हटाकर वहां पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी है। इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। शान-ए-हिंद समाजवादी पार्टी की पार्षद हैं। हिंदूवादी संगठनों के अतिरिक्त शिवसेना (शिंदे गुट) ने भी इस पर कड़ा विरोध प्रकट किया है। उनका कहना है कि सरकारी कार्यालयों में सिर्फ

राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नेताओं की तस्वीरें ही लगाई जा सकती हैं। टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से जनभावना आहत हुई है। इस संबंध में हिंदू संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मालेगांव नगर निगम के कमिश्नर रवीन्द्र जाधव से भी मिला और उनसे महापौर के कार्यालय में लगी टीपू सुल्तान की तस्वीर को हटाने की मांग की। जब मालेगांव का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और इसकी चर्चा महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्रों में शुरू हुई तो नगर निगम प्रशासन ने टीपू की तस्वीर को हटा दिया। उपमहापौर शान-ए-हिंद ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव जीतने के बाद उनके समर्थकों ने उन्हें टीपू सुल्तान की तस्वीर दी थी, जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में लगा दिया था।

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा और उसके सहयोगी दलों द्वारा कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। समाचारपत्र ने कहा है कि भाजपा ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने के विरोध में पुणे में कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। वहां पर तनाव रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सपकाल ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने टीपू सुल्तान पर उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया है। इसके कारण राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया है। सपकाल ने कहा कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष छेड़ने में टीपू ने शिवाजी से प्रेरणा ली थी। सपकाल के बयान पर भाजपा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान जैसे धर्मांध शासक से की है। यह शिवाजी महाराज का खुला अपमान है।

कांग्रेस अध्यक्ष सपकाल के बयान की आलोचना करते हुए महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रवीन्द्र चव्हान ने कहा था कि अगर शिवाजी न होते तो सबकी 'सुन्नत' (खतना) हो जाती। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने विभिन्न जातियों व

धर्मों को साथ लेकर जनता की खुशहाली, धर्म और देश के हित के लिए 'हिंदवी स्वराज' की नींव रखी थी। ऐसे में सिर्फ अपनी रियासत को बचाने के लिए मंदिरों को तोड़ने वाला और हिंदुओं का उत्पीड़न करने वाला टीपू शिवाजी के बराबर कैसे हो सकता है? इस तरह का विचार सिर्फ कांग्रेस की मुगल मानसिकता से ही पैदा हो सकता है।

औरंगाबाद टाइम्स (17 फरवरी) के अनुसार शिवसेना (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने टीपू सुल्तान विवाद पर भाजपा की आलोचना करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का है। इसके बारे में भाजपा को ज्ञान बघारने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा जानबूझकर राज्य का माहौल खराब कर रही है। उसे जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। राउत ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक विधानसभा में टीपू सुल्तान को 'राष्ट्रीय पुरुष' करार दिया था। तब भाजपा कहां थी?

राजस्थान में तब्लीगी जमात के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई

इंकलाब (10 फरवरी) के अनुसार राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने तब्लीगी जमात से जुड़े 12 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। गौरतलब है कि इस संबंध में 6 फरवरी को बांसवाड़ा के बागीदोरा थाने में एक शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि दो दर्जन लोगों का एक समूह गैर-कानूनी धर्म प्रचार में जुटा हुआ है। इससे शांति व्यवस्था खतरे में पड़ सकती है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि ये लोग एक स्थानीय मस्जिद में रह रहे हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने कहा कि वे तब्लीगी जमात से जुड़े हुए हैं और रमजान के दौरान लोगों में इस्लाम के बारे में जागरूकता पैदा करने आए हैं। गिरफ्तार किए गए लोग गुजरात के गोधरा के रहने वाले हैं। बाद में इन आरोपियों को एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इसके

बाद राजस्थान पुलिस ने उन्हें गुजरात की सीमा पर ले जाकर छोड़ दिया। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में अवैध धर्मांतरण पर कानूनी प्रतिबंध है।

गौरतलब है कि तब्लीगी जमात की नींव 1926 में मुजफ्फरनगर के कस्बा कांधला के एक मौलाना इलियास कांधलवी ने रखी थी। मौलाना इलियास ने मुस्लिम शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद से शिक्षा प्राप्त की थी। वे इस्लाम की कट्टर वहाबी विचारधारा के पोषक थे। कहा जाता है कि तब्लीगी जमात की स्थापना आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन के जवाब में की गई थी। 1920 के दशक में आर्य समाज के एक प्रमुख संन्यासी स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि आंदोलन को व्यापक रूप दिया था। शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य हिंदू से जबरन मुसलमान बनाए गए लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाना था। इस अभियान के तहत हजारों लोग फिर से हिंदू धर्म में वापस आ गए थे। इस आंदोलन से चिढ़कर एक कट्टरपंथी मुसलमान अब्दुल रशीद ने 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली के नया बाजार स्थित स्वामी श्रद्धानन्द के आश्रम में घुसकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि अब्दुल रशीद तब्लीगी जमात की विचारधारा से प्रेरित था।

तब्लीगी जमात का उद्देश्य मुसलमानों में इस्लाम के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसका प्रचार-प्रसार करना है। इसका आदर्श वाक्य है, "ऐ मुसलमानों! मुसलमान बनो।" मौलाना इलियास ने अपनी गतिविधियां मेवात इलाके से शुरू की थी और दिल्ली स्थित निजामुद्दीन की बंग्लेवाली मस्जिद को तब्लीगी जमात का मुख्यालय बनाया था। तब्लीगी जमात का दावा है कि वह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन है। जमात इन दिनों चार गुटों में विभाजित है। इसकी शाखाएं दुनिया के 140 देशों में फैली हुई हैं। इसके अनुयायियों की संख्या 8-10 करोड़ के बीच बताई जाती है। मजेदार बात यह है कि सऊदी अरब समेत एक दर्जन इस्लामिक देशों ने तब्लीगी जमात की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ■

बांग्लादेश में नई सरकार का गठन

इंकलाब (18 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 49 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। शपथ लेने वालों में दो मंत्री निताई रॉय चौधरी और दीपेन दीवान अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। निताई रॉय चौधरी हिंदू समुदाय और दीपेन दीवान बौद्ध समुदाय से आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला और विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने हिस्सा लिया। बिड़ला ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का आधिकारिक निमंत्रण दिया।

समाचारपत्र ने कहा है कि तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। खालिदा जिया के निधन के बाद रहमान ने बीएनपी की बागडोर संभाली थी। पिछले 18 सालों से वे ब्रिटेन में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। 2007 में बांग्लादेश की तत्कालीन सरकार ने रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। बाद में उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई। खास बात यह है कि बीएनपी ने कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए-इस्लामी को हराकर सत्ता प्राप्त की है। बीएनपी को 299 सीटों में से 209 सीटें मिली हैं। खास बात यह है कि बांग्लादेश के 36 हिंदू बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में से 22 पर बीएनपी ने जीत दर्ज की है। इस चुनाव में बीएनपी ने चार हिंदू उम्मीदवारों को खड़ा किया था, जिसमें से दो ने जीत दर्ज की है। वहीं, जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 77 सीटें मिली हैं। इनमें से जमात-ए-इस्लामी को 68 और नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) को छह सीटें मिली हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बांग्लादेश की जनता ने हिंसक छात्र आंदोलनों का समर्थन नहीं किया है। यही कारण है कि एनसीपी को सिर्फ छह सीटें ही मिली हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 फरवरी) के अनुसार तारिक रहमान मंत्रिमंडल में कुल 50 लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है।

शासक की भूमिका निभाई, लेकिन उन पर तानाशाही रवैया अपनाने और निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव न करवाने के आरोप लगते रहे। बांग्लादेश में हुए हालिया चुनाव से स्पष्ट है कि अब देश का माहौल बदल रहा है। अगर नई सरकार पारदर्शी शासन और लोकतांत्रिक तरीके नहीं अपनाएगी तो बांग्लादेश पर राजनीतिक अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। तारिक रहमान के लिए यह जरूरी है कि वे राष्ट्रीय हितों को देखते हुए जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। देश में चुनाव सुधार की दिशा में पहल की जाए और राजनीतिक गतिविधियों पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध न लगाया जाए।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान के अतिरिक्त 25 ने कैबिनेट मंत्री और 24 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली है। नई सरकार में तीन टेक्नोक्रेट्स को भी मंत्री बनाया गया है। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 पहली बार मंत्री बने हैं। जबकि सभी राज्य मंत्री पहली बार मंत्री बने हैं। खास बात यह है कि चुनाव में जीत दर्ज करते ही नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने जमात-ए-इस्लामी के अध्यक्ष शफीकुर रहमान और एनसीपी के नेताओं से मुलाकात की है। इस चुनाव में बीएनपी गठबंधन को 212 सीटें मिली हैं।

इंकलाब (19 फरवरी) ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या सिर्फ आठ प्रतिशत है। फिर भी एक हिंदू को मंत्री बनाया गया है। जबकि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 18 प्रतिशत है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि बांग्लादेश और भारत का तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि बांग्लादेश को अपने अल्पसंख्यकों की अधिक चिंता है।

हिंदुस्तान (15 फरवरी) ने अपने संपादकीय में बांग्लादेश में बीएनपी के सत्ता में आने का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि इस घटनाक्रम से साफ है कि बांग्लादेश में बेगमों के शासन का दौर खत्म हो गया है। शेख हसीना ने पिछले डेढ़ दशक तक एक मजबूत

समाचारपत्र ने कहा है कि बांग्लादेश में नई सरकार के आने से भारत के लिए कड़ी परीक्षा का युग शुरू हो गया है। यह जरूरी है कि नई दिल्ली अब वास्तविक नीति अपनाए और वहां की नई सरकार के साथ संबंध सुधारे। भारत अब किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी को महत्व देने के बजाय बांग्लादेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्राथमिकता दे।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (15 फरवरी) ने कहा है कि बांग्लादेश का इतिहास खून से सना पड़ा है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और सैन्य तानाशाह जियाउर रहमान दोनों की हत्या हुई है। समाचारपत्र ने कहा है कि शेख हसीना का शासनकाल तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। उनके शासनकाल में जमात-ए-इस्लामी के अनेक लोगों को फांसी पर लटकाया गया और 30 हजार से अधिक लोगों को जेल में बंद किया गया। समाचारपत्र ने दावा किया है कि यह चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। हालांकि, जमात-ए-इस्लामी ने शिकायत की है कि इन

चुनावों में 71 सीटों पर धांधली हुई है। पार्टी ने इन सीटों पर फिर से चुनाव करवाने की मांग की है। जमात-ए-इस्लामी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि विदेशी ताकतों के बल पर तारिक रहमान सत्ता में आए हैं।

अवधनामा (15 फरवरी) के अनुसार प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कहा है कि उनकी पार्टी चीन, भारत और पाकिस्तान तीनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखेगी, लेकिन इसमें बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

अखबार-ए-मशरिक (15 फरवरी) ने अपने संपादकीय में बीएनपी की जीत का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि बांग्लादेश की जनता ने कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को ठुकरा दिया है। वहीं, 20 साल के बाद बीएनपी को फिर से सत्ता मिली है। पार्टी ने पिछले तीन चुनावों का बहिष्कार किया था और शेख हसीना ने बीएनपी को राजनीतिक बदले का शिकार भी बनाया था।

हिंदुस्तान (17 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीएनपी की जीत पर तारिक रहमान को बधाई दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान से आशा पैदा हुई है कि दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। इसे दूर करना दोनों देशों के हित में है। दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए यह जरूरी है कि इनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (18 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि बांग्लादेश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान का रास्ता कांटों भरा है। उनके सामने एक स्थिर सरकार देने की चुनौती है ताकि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। फिलहाल यह कहना कठिन है कि तारिक रहमान अपनी नई जिम्मेवारी निभाने में कितने सफल होंगे, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। वहां पर बेचैनी है। आर्थिक बदहाली और बढ़ती बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग में अशांति है।

मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ा है।

हमारा समाज (19 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हैं। ऐसा लग रहा था कि देश में जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हालांकि, इन चुनावों में बीएनपी को भारी सफलता मिलने से यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश की जनता की आस्था जमात-ए-इस्लामी में नहीं है।

सियासत (18 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पिछले एक साल में बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं रही है। बांग्लादेश की नई सरकार को चाहिए कि वह देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे। जब तक देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक बांग्लादेश का विकास नहीं होगा। नई सरकार को आक्रामक नीति और विध्वंसक तत्वों पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए ताकि पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और व्यापार में सुधार हो सके। पिछले एक साल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है। बांग्लादेश के कुछ तत्वों ने पाकिस्तान की कठपुतली के तौर पर काम किया है। इससे वहां पर भारत विरोधी माहौल बना है। नई सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे तत्वों पर लगाम लगाए, क्योंकि भारत के साथ स्थिर, मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध बांग्लादेश के हित में है। भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बिना बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है।

बांग्लादेश में छह लोगों को मौत की सजा

उर्दू टाइम्स (6 फरवरी) के अनुसार बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी-2) ने जुलाई-अगस्त 2024 में हुए शेख हसीना सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों की हत्या करने और उनकी लाशों को जलाने के आरोप में छह लोगों को मौत की सजा सुनाई है। जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है उनमें पूर्व सांसद मोहम्मद सैफुल इस्लाम, पुलिस अधिकारी एएफएम सैयद, पूर्व सब-इंस्पेक्टर अब्दुल मलिक, पूर्व असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर बिश्वजीत साहा, पूर्व कांस्टेबल मुकुल चोकदार और अवामी लीग युवा मोर्चा के नेता रोनी भुइयां शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त इसी मामले में सात अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है और दो लोगों को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जाते हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में ढाका जिला पुलिस के पूर्व अतिरिक्त अधीक्षक अब्दुल्लाहिल काफी, पूर्व पुलिस अधिकारी शाहिदुल इस्लाम, इंस्पेक्टर अराफात हुसैन, सब-इंस्पेक्टर अब्दुल मलिक, अराफात उद्दीन, कांस्टेबल मुकुल चोकदार, कमरुल हसन और शेख अबजालुल हक शामिल हैं।

21 अगस्त 2024 को बांग्लादेश सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नजरुल इस्लाम चौधरी की अध्यक्षता वाली आईसीटी-2 ने इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। कांस्टेबल शेख अबजालुल हक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें सरकारी गवाह बनाया गया। उनके बयान के अनुसार 5 अगस्त 2024 को ढाका के अशुलिया इलाके में पुलिस ने छह युवकों को गोली मार दी थी। इसके बाद उनकी लाशों को पुलिस वैन में जला दिया गया था। बाद में इस घटना का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इनमें से दो शवों की पहचान की गई। वायरल वीडियो में एक वैन में कई लाशें दिखाई दे रही हैं। जबकि पुलिस अधिकारी कुछ और शवों को वैन में लादते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जाता है कि इन पुलिस अधिकारियों ने कुछ ऐसे लोगों को भी जला दिया था जो उस समय जीवित थे।

पाकिस्तान में शियाओं के खून की होली

इंकलाब (7 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के तरलाई कलां क्षेत्र में शिया उपासना स्थल इमामबारगाह खदीजातुल कुबरा में हुए एक आत्मघाती हमले में 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। अधिकतर घायलों की स्थिति नाजुक है, इसलिए मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। धमाके के समय इस शिया मस्जिद में भारी संख्या में लोग नमाज अदा कर रहे थे। पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने पुष्टि की है कि यह आत्मघाती हमला था। इस हमले के बाद इस्लामाबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। पाकिस्तान सरकार ने देशवासियों से अपील की है कि वे घायलों की जान बचाने के लिए रक्तदान करें। इस्लामाबाद में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार इस हमले की जिम्मेवारी सुन्नी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस ने ली है। आईएसआईएस की न्यूज एजेंसी 'अमाक' ने कहा है कि यह हमला आईएसआईएस के लड़ाकों ने किया है। इसके

पीछे अफगानिस्तान और भारत का हाथ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि इस आतंकवादी गिरोह को खत्म कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि आईएसआईएस इससे पहले भी पाकिस्तान में शियाओं को अपना निशाना बनाता रहा है। इस संगठन ने पिछले तीन साल में पांच शिया मस्जिदों को अपना निशाना बनाया है।

साथ ही आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की है। इसके अतिरिक्त अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्किये, ईरान और अफगानिस्तान ने भी इस हमले की निंदा की है। सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि मस्जिद में नमाजियों की हत्या करना गैर-इस्लामी हरकत और खुला आतंकवाद है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ईरान हर तरह के आतंकवाद की निंदा करता है। तुर्किये के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी सच्चा मुसलमान इस तरह की हरकत नहीं कर सकता है। यह आतंकवाद की शर्मनाक हरकत है। अफगान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि नमाजियों को निशाना बनाना गैर-इस्लामी है। जिन लोगों ने यह हरकत की है वे इस्लाम के दुश्मन हैं।

चट्टान (8 फरवरी) के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि आत्मघाती हमलावर पाकिस्तानी नागरिक था। बताया जाता है कि हमलावर इस हमले से पहले लगभग पांच महीने अफगानिस्तान में रहा था। वहां पर उसने हथियारों और आत्मघाती हमले का प्रशिक्षण लिया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने आरोप लगाया है कि इस हमले के

कौमी तंजीम (8 फरवरी) के अनुसार भारत ने इस आरोप का खंडन किया है कि इस्लामाबाद में हुए धमाके के पीछे उसका हाथ है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान के बजाय उसका पूरा दोष पड़ोसी देशों पर डाल देता है। भारत ने इस धमाके की निंदा की है और पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि वह अपने सामाजिक ताने-बाने से पैदा हो रही समस्याओं को गंभीरता से ले और इसके लिए दूसरे देशों को दोषी ठहराना बंद करे।

अवधनामा (8 फरवरी) ने पाकिस्तान में शियाओं की हत्या की निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में शिया होना अपराध बन गया है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में शिया सुरक्षित नहीं हैं। शियाओं को काफिर कहकर उनकी हत्या की जा रही है। हालांकि, शियाओं के पास वही कुरान है, जिसमें कहा गया है कि किसी निर्दोष की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या है। समाचारपत्र ने दुख जाहिर करते हुए कहा है कि "हमें यह कहते हुए शर्म आ रही है कि पाकिस्तान में शियाओं को उन लोगों ने मौत के घाट उतारा है, जो स्वयं को मुसलमान कहते हैं। वे उसी पैगंबर और कुरान को मानते हैं, जिसे हम भी मानते हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं?

इस्लाम के नाम पर हमारा खून क्यों बहाया जा रहा है?" गौरतलब है कि लखनऊ से प्रकाशित होने वाला 'अवधनामा' एक शिया अखबार है।

अखबार-ए-मशरिक (8 फरवरी) ने अपने संपादकीय में इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए धमाके की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान में शिया सुरक्षित नहीं हैं। उनकी खून की लगातार होली खेली जा रही है। यह हरकत बेहद शर्मनाक और इस्लाम के खिलाफ है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई थी वह अब उसी के लिए घातक बन गई है। समाचारपत्र ने लिखा है कि अब पाकिस्तान में कोई भी धार्मिक स्थान सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में इस्लाम के विभिन्न फिरकों में जो नफरत की ज्वाला भड़की है उसके लिए वहां की सरकार और सेना जिम्मेदार है।

सियासत (7 फरवरी) ने इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले की निंदा की है। समाचारपत्र ने कहा है कि पाकिस्तान में शियाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दुख की बात यह है कि एक ऐसे देश में शियाओं के खून की होली खेली जा रही है, जो खुद को इस्लामी देश बताता है। दशकों से पाकिस्तान में शियाओं को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रही है।

हमारा समाज (9 फरवरी) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आत्मघाती हमले हो रहे हैं वह इस्लाम और मुस्लिम एकता के खिलाफ है। समाचारपत्र ने कहा है कि जो लोग इसे जिहाद का नाम देते हैं वे इस्लाम की एकता, कुरान और रसूल के दुश्मन हैं। मुसलमानों के विभिन्न फिरकों में आपसी खूनी संघर्ष बेहद चिंताजनक है। इसकी जितनी निंदा की जाए वह कम है।

ब्रिटेन में फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर प्रतिबंध रद्द

उर्दू टाइम्स (14 फरवरी) के अनुसार ब्रिटिश उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करके उस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला गैर-कानूनी था। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सरकार का यह फैसला ब्रिटिश परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार प्रभावित होता है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि देश में विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें तुरंत रिहा किया जाए और अदालतों में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं।

गौरतलब है कि पिछले साल ब्रिटेन में रहने वाले फिलिस्तीन समर्थक संगठनों ने देशभर में हिंसक प्रदर्शन किए थे और यह मांग की थी कि ब्रिटिश सरकार इजरायल और हमास के युद्ध में तटस्थ रहे। इन संगठनों की यह भी मांग थी कि ब्रिटिश सरकार अमेरिकी सरकार पर यह दबाव डाले कि वह इजरायल को गाजा में सैन्य कार्रवाई

को तुरंत बंद करने का निर्देश दे। फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप से जुड़े लोगों ने ब्रिटेन के एक हवाई अड्डे में घुसकर कुछ विमानों को क्षति भी पहुंचाई थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने देश में फिलिस्तीन के पक्ष में होने वाले प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने अलकायदा और हमास जैसे इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की तरह फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप को भी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। ब्रिटिश गृह मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया था कि अगर कोई व्यक्ति फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप का सदस्य बनता है, उसका समर्थन करता है या उसे आर्थिक सहयोग देता है तो उसे आतंकवाद निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार करके 14 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन के विभिन्न हिस्सों में उग्र प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले तीन हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चलाए जा रहे थे। मानवाधिकार संगठनों ने ब्रिटिश सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। अब उच्च न्यायालय ने फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप पर से प्रतिबंध हटा दिया है। हालांकि, सरकार ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को ऊपरी अदालत में अपील करने की घोषणा की है। ■

मलेशिया और भारत के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर

सियासत (9 फरवरी) के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रक्षा, ऊर्जा और व्यापार से जुड़े 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर भी बातचीत हुई है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक भागीदारी

के क्षेत्र में भारी प्रगति हुई है। अब व्यापार, सेमीकंडक्टर, स्थानीय मुद्रा, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा।

इंकलाब (8 फरवरी) के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि "कुआलालंपुर पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के गर्मजोशी से किए गए स्वागत से मैं अभिभूत हूं। मैं हमारी बातचीत और भारत-मलेशिया के बीच दोस्ती के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।" कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर भारी संख्या में भारतीय नागरिक मौजूद थे और स्कूली बच्चे अपने हाथों में भारतीय झंडे उठा रखे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय लोगों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत सी बातें भारत और मलेशिया के लोगों के दिलों को जोड़ती हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। 100 से अधिक भारतीय कंपनियां मलेशिया में काम कर रही हैं। यह भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और इंडो-पैसिफिक विजन में मलेशिया के बढ़ते कूटनीतिक और आर्थिक महत्व को दिखाता है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (9 फरवरी) के अनुसार इस समझौते में स्थानीय मुद्रा में व्यापार और मलेशिया से पाम ऑयल के आयात में वृद्धि करने का भी फैसला किया गया है। रक्षा सहयोग में बढ़ोतरी करने और आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर भी सहमति प्रकट की गई है।

उर्दू टाइम्स (9 फरवरी) के अनुसार अपने मलेशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर भारत का संदेश बिल्कुल साफ है। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड नहीं होगा और न ही कोई समझौता होगा।

हिंदुस्तान (9 फरवरी) ने अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया दौरे का स्वागत किया है। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत और मलेशिया के संबंध सिर्फ राजनयिक संबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर आधारित है। पुराने समय से दोनों देशों के व्यापारी, उलेमा, सूफी और नाविक मलय द्वीपसमूह में आते रहे हैं। इससे भारतीय सभ्यता, भाषा, धार्मिक संबंध और सांस्कृतिक परंपराएं इस क्षेत्र में बस गई हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि मलेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन वहां पर हिंदू भी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। यह दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का जीता जागता उदाहरण है।

लीबिया में सत्ता के संघर्ष में गद्दाफी के बेटे की हत्या

इंकलाब (6 फरवरी) के अनुसार लीबिया में सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की मीडिया कमेटी के प्रमुख अकीला डलहौम ने आरोप लगाया है कि देश में सत्तारूढ़ गिरोह ने लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की हत्या करवाई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में सैफ अल-इस्लाम ने यह घोषणा की थी कि वे आगामी राष्ट्रपति चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में भाग लेंगे। यही कारण है कि सत्तारूढ़ गिरोह ने सैफ अल-इस्लाम को अपने रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवाई है। अकीला डलहौम ने मांग की है कि किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी में सैफ अल-इस्लाम की हत्या की जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दायर करेंगे।

कौमी तंजीम (5 फरवरी) के अनुसार लीबिया के जिंतान शहर में चार नकाबपोश बंदूकधारियों ने सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी के आवास पर हमला किया। इस हमले में सैफ अल-इस्लाम और उनके बेटे भी मारे गए। सैफ अल-इस्लाम के भाई अल-सादी गद्दाफी ने सैफ अल-इस्लाम और उनके बेटे की मौत की पुष्टि करते हुए कहा है कि सैफ अल-इस्लाम ने हमलावरों का मुकाबला किया था और इसी मुकाबले में वे मारे गए।

उल्लेखनीय है कि सितंबर 1969 में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के नेतृत्व में सेना ने लीबिया के बादशाह का तख्ता पलट दिया था। इसके बाद गद्दाफी लीबियाई सेना के प्रमुख बने और क्रांति परिषद के नए अध्यक्ष की हैसियत से राष्ट्रपति भी बन गए। गद्दाफी ने एक तानाशाह के रूप में 42 सालों तक लीबिया पर शासन किया। 2011 में लीबिया में हुए एक विद्रोह में गद्दाफी मारे गए। बीबीसी के अनुसार मुअम्मर गद्दाफी 1942 में एक किसान परिवार में पैदा हुए थे। बेनगाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान राजनीतिक झुकाव और विचारधारा के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। इसके बाद वे लीबिया की सेना में भर्ती हो गए। गद्दाफी मिस्र के तत्कालीन

राष्ट्रपति जमाल अब्दुल नासिर और उनकी नीतियों के प्रशंसक थे। कहा जाता है कि गद्दाफी ने उन प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लिया था, जो अरब जगत में 1956 में मिस्र की ओर से स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इजरायल के हमले के खिलाफ शुरू हुए थे।

सत्ता में आते ही मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया में स्थित अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य अड्डों को खत्म कर दिया और इतालवी व यहूदियों को अपने देश से जबरन निष्कासित कर दिया। गद्दाफी की देखरेख में लीबिया में तेल के भंडारों का दोहन किया गया। इससे लीबिया अरब के समृद्ध देशों में शामिल हो गया। हालांकि, तब लीबिया की जनसंख्या सिर्फ 30 लाख ही थी। गद्दाफी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक कुख्यात नेता के रूप में उभरे। 1986 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में अमेरिकी सैनिकों के एक क्लब में धमाका हुआ था। इस धमाके में कई अमेरिकी मारे गए। कहा जाता है कि इस धमाके के पीछे गद्दाफी का हाथ था। इस धमाके के जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने लीबिया के कई शहरों पर हमले किए। इन हमलों में लीबिया को भारी नुकसान हुआ और कई लोग मारे गए। अमेरिका इस हमले में गद्दाफी को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन वे बाल-बाल बचे गए। हालांकि, इस हमले में उनके कुछ परिवारजन मारे गए।

1988 में एक अमेरिकी विमान वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस दुर्घटना में 270 लोग मारे गए। कहा जाता है कि गद्दाफी के एजेंटों ने इस विमान में बम लगाया था। अगस्त 2003 में संयुक्त राष्ट्र के दबाव पर लीबिया सरकार ने इस धमाके की जिम्मेवारी ली और पीड़ितों के परिवारजनों को 2.7 अरब डॉलर मुआवजा देने की घोषणा की। इसके बदले में संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया। 2011 में अमेरिका के इशारे पर लीबिया में गद्दाफी विरोधी प्रदर्शन तेज हो गए। गद्दाफी ने इन्हें सख्ती से दबाने का प्रयास किया। पुलिस और सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं और लड़ाकू विमानों का भी इस्तेमाल किया गया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों ने लीबिया सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की। दूसरी ओर, गद्दाफी सरकार के कई मंत्रियों ने भी त्यागपत्र दे दिया।

फरवरी 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गद्दाफी सरकार पर नए प्रतिबंध लगा दिए और उनके परिवार की संपत्तियां भी फ्रीज कर दीं। इसके बाद देश में गृहयुद्ध छिड़ गया। 30 अप्रैल 2011 को नाटो की वायुसेना ने गद्दाफी के महल पर हमला किया। इस हमले में उनके छोटे बेटे और तीन पोते मारे गए, लेकिन गद्दाफी बच गए। अगस्त 2011 में विद्रोहियों ने राजधानी त्रिपोली पर कब्जा कर लिया। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब गद्दाफी लीबिया से भागने की कोशिश कर रहे थे तो विद्रोहियों के साथ एक झड़प में वे मारे गए।

सोमालिया और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौता

हिंदुस्तान (10 फरवरी) के अनुसार सोमालिया के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि सोमालिया और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सऊदी सरकार के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि रियाद में हुए समझौते पर सोमालिया के रक्षा मंत्री अहमद मोआलिम फिकी और सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का विवरण साझा नहीं किया किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले इजरायल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी थी। अरब देशों ने इसका विरोध किया था और इजरायल के इस फैसले को अरब जगत के लिए खतरा करार दिया था। सोमालीलैंड की सरकार खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र मानती है। जबकि सोमालिया सरकार इसे अपना अभिन्न अंग बताती है।

एतेमाद (10 फरवरी) के अनुसार सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि इजरायल सोमालिया की भूमि पर अवैध सैन्य अड्डे स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि उसने विद्रोही सरकार सोमालीलैंड को मान्यता दी है। अरब न्यूज को दिए इंटरव्यू में सोमालिया के राष्ट्रपति ने कहा कि हम सोमालीलैंड में इजरायली सैन्य अड्डे स्थापित करने की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल सोमालीलैंड में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करके पड़ोसी अरब देशों पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी पूरी क्षमता से लड़ेंगे और अपना बचाव करेंगे।

गौरतलब है इजरायल ने दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्रत और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। अरब देशों में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। सऊदी अरब में हुए अरब देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में यह आरोप लगाया गया था कि इजरायल सोमालीलैंड में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने का प्रयास कर रहा है ताकि वह ग्रेटर इजरायल के मंसूबे को कार्यान्वित कर सके। हालांकि, इजरायल और

सोमालीलैंड दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन पिछले महीने सोमालीलैंड के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इजरायली टीवी चैनल 12 को बताया कि सोमालीलैंड में इजरायली सैन्य अड्डे पर विचार किया जा रहा है।

चट्टान (11 फरवरी) के अनुसार यूरोपीय यूनियन और आठ अन्य मुस्लिम देशों ने इजरायल द्वारा वेस्ट बैंक पर नियंत्रण को मजबूत बनाने और उसमें और अधिक यहूदी बस्तियां बसाने के फैसले की निंदा की है। यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों के प्रवक्ता प्रवक्ता अनवर अल-अनौनी ने संवाददाताओं को बताया कि यूरोपीय यूनियन इजरायली मंत्रिमंडल के इस फैसले की निंदा करता है। इजरायल का यह कदम गलत दिशा में उठाया गया है और इससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा।

इंकलाब (16 फरवरी) के अनुसार इजरायल सरकार ने वेस्ट बैंक की भूमि को इजरायल की सरकारी संपत्ति घोषित की है। इजरायली रेडियो 'केएएन' के अनुसार यह योजना वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और न्याय मंत्री यारिव लेविन द्वारा पेश की गई थी। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस योजना का समर्थन किया है। दूसरी ओर, हमास ने कहा है कि यह फैसला गैर-कानूनी है। हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल ने 1967 में फिलिस्तीन के इस क्षेत्र पर जबरन कब्जा किया था। अब वह इसे कानूनी रूप देना चाहता है ताकि इसका इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए किया जा सके।

वहीं, सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये के विदेश मंत्रियों ने इजरायल के इस फैसले की निंदा की है। इन देशों द्वारा जारी एक साझा बयान में कहा गया है संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी क्षेत्र घोषित कर चुका है, इसलिए इजरायल को उस पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। गौरतलब है कि इस समय वेस्ट बैंक में पांच लाख से अधिक इजरायली रह रहे हैं। जबकि इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी निवासियों की संख्या 30 लाख से अधिक है। ■

नाइजीरिया में गैर–मुसलमानों का नरसंहार

उर्दू टाइम्स (6 फरवरी) के अनुसार इस्लामिक आतंकवादियों ने पश्चिमी नाइजीरिया के दो गांवों पर हमला करके कम-से-कम 162 लोगों की हत्या कर दी है। मरने वालों में अधिकांश गैर-मुसलमान हैं। इस क्षेत्र के सांसद मोहम्मद उमर बायो ने कहा है कि हाल के महीनों में आतंकवादियों का यह सबसे बड़ा हमला है। हमलावरों का संबंध लकुरावा नामक इस्लामिक आतंकवादी संगठन से है, जो कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़ा है। सांसद उमर बायो ने बताया कि मृतकों की लाशें चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। क्वारा राज्य की रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव अयोदेजी इमैनुएल बाबाओमो ने बताया कि मरने वाले अधिकांश लोग ईसाई हैं। सरकारी टेलीविजन के अनुसार लोगों की सामूहिक हत्या की गई है और उनके घरों को जला दिया गया है। क्वारा के गवर्नर अब्दुल रहमान अब्दुल रजाक ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि हाल ही में सेना ने इस्लामिक आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी। लगता है कि आतंकवादियों ने उसी का बदला लिया है।

इस घटना से कुछ दिन पहले उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में बोको हराम के आतंकवादियों ने एक कस्बे और एक सैन्य अड्डे पर हमला करके 70 लोगों की हत्या कर दी थी। नाइजीरिया के एक सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि 2023 में पड़ोसी देश नाइजर में हुई सैन्य क्रांति के बाद इस्लामिक आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों में तेजी आई है। अमेरिकी अफ्रीका कमांड के प्रमुख ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर अमेरिका की एक सैन्य टीम नाइजीरिया भेजी गई है। यह टीम स्थिति का अध्ययन करेगी। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने धमकी दी थी कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों का नरसंहार जारी रहा तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा।

सियासत (16 फरवरी) के अनुसार नाइजीरिया के उत्तरी क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों के हमलों में कम-से-कम 32 लोग मारे गए हैं और दर्जनों लोगों को बंधक बना लिया गया है।

■

सूडान में गृहयुद्ध की ज्वाला भड़की

इंकलाब (9 फरवरी) के अनुसार सूडान के उत्तरी क्षेत्र में शरणार्थियों को ले जा रही एक बस पर ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले में कम-से-कम 24 लोग मारे गए। मरने वालों में आठ बच्चे और दो नवजात शिशु भी थे। सूडानी रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता के अनुसार यह हमला रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) की ओर से उत्तर कोर्डोफान राज्य के अल-राहद शहर के नजदीक किया गया। सूडान में छिड़े गृहयुद्ध के कारण बस में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे थे। सूडानी विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि आरएसएफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा भेजी गई राहत सामग्री के वाहनों को निशाना बना रहा है। यह अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अफ्रीकी मामलों के सलाहकार मासाद बौलोस ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस तरह के हमलों को सहन नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोर्डोफान क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के कारण 88 हजार से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

उर्दू टाइम्स (13 फरवरी) के अनुसार आरएसएफ ने सूडान के कोर्डोफान में स्थित एक मस्जिद पर ड्रोन से हमला किया है। हमले के समय बच्चे मस्जिद के अंदर कुरान का पाठ कर रहे थे। इस हमले में दो बच्चों की मौत हो गई और 13 से अधिक घायल हो गए। आरएसएफ ने इस घटना के बारे में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। सूडान के एक मुफ्ती ने दावा किया है कि हाल ही में आरएसएफ ने 20 मस्जिदों पर हमला किया है। इसके अतिरिक्त 165 से अधिक गिरजाघर भी तबाह हुए हैं।

उर्दू टाइम्स (18 फरवरी) के अनुसार मध्य सूडान के एक भीड़भाड़ वाले बाजार पर हुए ड्रोन हमले में कम-से-कम 28 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस क्षेत्र में सूडानी सेना और

आरएसएफ के बीच भीषण युद्ध जारी है। सूडान में अप्रैल 2023 से जारी गृहयुद्ध में अब तक 50 हजार से अधिक लोग मारे गए हैं और एक करोड़ 30 लाख लोग बेघर हुए हैं।

ब्रिटेन के युवराज का सऊदी अरब दौरा

इंकलाब (11 फरवरी) के अनुसार ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने सऊदी अरब का पहला आधिकारिक दौरा किया है। रियाद के डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने प्रिंस विलियम का स्वागत किया। 'द न्यूज इंटरनेशनल' की एक रिपोर्ट के अनुसार इस दौरे का लक्ष्य दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत बनाना है।

चट्टान (11 फरवरी) के अनुसार ब्रिटेन सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रयत्नशील है। इसकी शुरुआत एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल में हुई थी। 40 साल पहले 1986 में तत्कालीन युवराज प्रिंस चार्ल्स ने अपनी पत्नी प्रिंसेस डायना के साथ सऊदी अरब का दौरा किया था। प्रिंस विलियम ने जून 2018 में इजरायल और फिलिस्तीन का दौरा किया था। तब उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि 1917 से 1948 तक इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का शासन था। जानकार सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन सऊदी अरब सरकार के सहयोग से लड़ाकू विमान बनाने की फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है। बताया जाता है कि प्रिंस विलियम ने इसी संदर्भ में सऊदी अरब का दौरा किया है।

2024 में यह जानकारी मिली थी कि ब्रिटेन के वर्तमान राजा 77 वर्षीय चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में प्रिंस विलियम का महत्व बढ़ जाता है। सऊदी अरब सरकार के सूत्रों ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब और ब्रिटेन के बीच रक्षा उत्पादन की काफी संभावना है। प्रिंस विलियम के सऊदी अरब दौरे को इसलिए भी महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि चीन और रूस सऊदी अरब के साथ रक्षा उपकरणों की खरीद का समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद अमेरिका भी हरकत में आ गया है। वह यह प्रयास कर रहा है कि सऊदी अरब ब्रिटेन के साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग करे ताकि सऊदी अरब में रूस और चीन के प्रयास को धक्का लगे।

RNI No. DELHIN/2017/72722

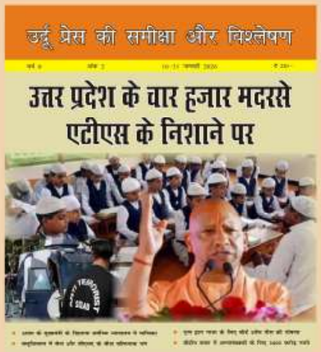

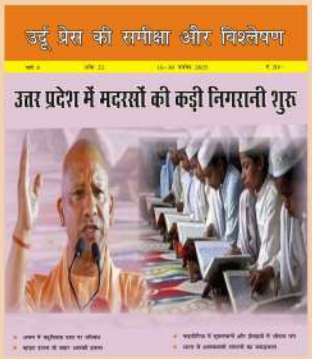

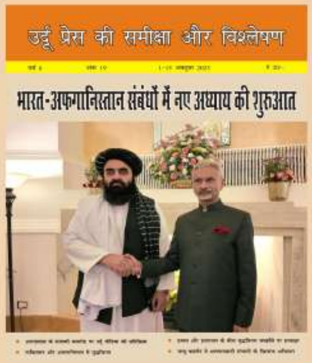

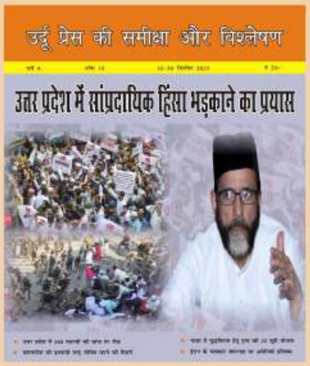

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in